'सेवा अधिकार आयोग ने फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त को सेवाओं की जानकारी न होने पर जताई नाखुशी'

चंडीगढ़, 7 सितम्बर (बंसल)। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त को अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की संख्या की जानकारी न होने पर नाखुशी जाहिर करते हुए उसे सभी अधिसूचित सेवाओं का डाटा जुटाने और 16 सितम्बर तक सूचना भिजवाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि 3 सितम्बर, 2021 को निगम सचिव अनिल कुमार यादव की ओर से भेजे गए जवाब में सिर्फ एक सेवा की जानकारी दी गई, जबकि जानकारी सभी अधिसूचित सेवाओं के बारे में मांगी गई थी। इससे स्पष्ट है कि अनिल कुमार यादव ने जवाब भेजने से पहले नोटिस को पढ़ना तक उचित नहीं समझा, जिसके लिए डिस्प्लेजर दर्ज किया गया है।

जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां' के साथ सेवाओं की समीक्षा शुरू

टी.सी. गुप्ता ने बताया कि सेवा संख्या 27 अर्थात 'जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां' के साथ सेवाओं की समीक्षा शुरू की गई, जिसके लिए अधिसूचित समय सीमा चालू वर्ष के लिए 14 दिन और पिछले वर्षों के लिए 30 दिन है। हालांकि, नगर निगम आयुक्त फरीदाबाद ने बताया कि उनके पास कोई डाटा नहीं है। उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकारियों से इस वक्तव्य को सत्यापित करवा लें क्योंकि यह अविश्वसनीय है कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के रखरखाव वाले इलाकों में जलापूर्ति या सीवरेज कनैक्शन के लिए आवेदन करता है तो निगम उसे यह सेवा प्रदान नहीं करेगा। परंतु नगर निगम आयुक्त इस पर अड़े रहे और कहा कि उनका वक्तव्य सही है।

कन्वेयंस डीड जारी करना' बारे भी आयुक्त के पास कोई डाटा नहीं था

आयोग के मुख्य आयुक्त ने बताया कि अगली सेवा संख्या 29 अर्थात 'कन्वेयंस डीड जारी करना' बारे भी आयुक्त के पास कोई डाटा नहीं था। हालांकि, उन्होंने सेवा संख्या 30 अर्थात नगर निगम द्वारा 'नए व्यापार लाइसैंस जारी करना' के आंकड़े दे दिए क्योंकि सभी मामलों में 57 लाइसैंस, जैसा कि उन्होंने बताया था, सेवा का अधिकार की सीमा से परे जारी किए गए थे। इसलिए उन्हें इन 57 मामलों में से प्रत्येक में उन जोनल कराधान अधिकारियों के नाम भेजने के निर्देश दिए गए।